

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं०-15/विविध निरी० प्रति० (भोजपुर) 07-18/2023-.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय पत्रांक-9/नि०गो०को० द्वारा भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश अंचल में सरकारी जमीन का निजी व्यक्ति को जमाबंदी कायम करने की विभागीय जाँच दल द्वारा दिनांक-24.05.2023 को की गयी जाँच संबंधी जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों एवं उक्त के संदर्भ में श्री उमेश चौधरी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, संदेश, भोजपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त मौजा-सारीपुर बचरी, थाना नं०-183, खाता सं०-681 में कुल-79 जमाबंदीयां अवैध रूप से सृजित करने संबंधी आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरुद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2495(15), दिनांक-20.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री चौधरी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक-10.01.2025 द्वारा विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं०-1342(15) दिनांक-30.07.2025 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, भोजपुर को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, आरा सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, भोजपुर के पत्रांक-2092 दिनांक-02.05.2026 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया।

5. प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-884(15) दिनांक-18.06.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री चौधरी द्वारा दिनांक-13.07.2026 से अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सरकारी जमीन की निजी व्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम करना अत्यंत ही गंभीर मामला है। आरोपी पदाधिकारी अपने विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में कोई भी प्रमाणिक दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध कराने अथवा तथ्यपरक तार्किक जवाब देने में विफल रहे हैं। यद्यपि मामला संज्ञान आने के उपरान्त आरोपी पदाधिकारी द्वारा दोषपूर्ण 03 जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव अपर समाहर्ता, भोजपुर को भेजा गया जिसके आलोक में प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को रद्द कर दिया गया तथापि इससे आरोपी पदाधिकारी का आरोप समाप्त नहीं हो जाता है। श्री चौधरी को प्रश्नगत जमीन से संबंधित सभी

अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/ तथ्यों की जाँच करते हुए विषयांकित जमीन की जमाबंदी कायम के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो श्री चौधरी द्वारा नहीं की गई है और अपने पदीय उत्तरदायित्व के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरती गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी व्यक्ति को की गई है। इस स्तर पर श्री चौधरी द्वारा चूक की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं है।

7. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री उमेश चौधरी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, संदेश, भोजपुर सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(vi) के तहत "संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/विविध निरी0 प्रति0 (भोजपुर) 07-18/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

संगीत-पोस्ट
ह0-मेल

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर एवं जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर एवं जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/श्री उमेश चौधरी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/विविध निरी0 प्रति0 (भोजपुर) 07-18/2023-.....1550.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-22/09/2026

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री चौधरी के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।